क्रम-संख्या-325

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007

कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2374/79-वि-1-07-1(क)61-2007

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

### अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

### उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 22 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द "5,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "50,000 रुपये" और शब्द "1000 रुपये" के स्थान पर शब्द "5,000 रुपये" रख दिये जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे और शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जाएंगे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 22 और 24 में गन्ना मिलों के क्रय केन्द्रों पर क्रमशः गन्ने की घटतौली के लिये अर्थदण्ड एवं उक्त अर्थदण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रावधान है। चूँकि उक्त अर्थदण्ड कई वर्षों पूर्व नियत किया गया था और वह आज के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है, अतः घटतौली की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ऐसे अर्थदण्ड की धनराशि को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन घटतौली के लिये अर्थदण्ड की अधिकतम धनराशि को "पाँच हजार" रुपये से बढ़ा कर "पचास हजार" रुपये, और उल्लंघन करते रहने की दशा में, "एक हजार" रुपये से बढ़ाकर "पाँच हजार" रुपये प्रतिदिन कर दिया जाय और मामले की सुनवाई करने और पचास हजार रुपये तक अर्थदण्ड लगाने के लिये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के स्थान पर, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को सशक्त किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

---

No. 2374/LXXIX-V–1-07-1(Ka)61-2007
Dated Lucknow November 20, 2007

---

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sansodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007 :–

## THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. Act no. 33 of 2007)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesn (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2007.

2. In section 22 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "rupees five thousand," the words "rupees fifty thousand" shall be substituted and for the words "one thousand" the words "five thousand" shall be *substituted.*

Amendment of section 22 of U.P. Act no. 24 of 1953

3. In section 24 of the principal Act, for the words "Magistrate of the First Class" the words "Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate as the Case may be, or Additional Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Metropolitan Magistrate" shall be *substituted* and for the words "five thousand rupees," the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 24

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 22 and 24 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 provide respectively penalty for underweighment of Sugarcane at the out centers of the sugar mills and competent authority for the said penalty. Since the said penalty was fixed many years ago and is insufficient in the present context, it has become necessary to increase the amount of such penalty to prevent the practice of underweighment..

It has, therefore, been decided to enhance the maximum amount of penalty for underweighment from rupees "five thousand," to rupees "fifty thousand" and from rupees "one thousand" to rupees "five thousand" per day in the case of continuing contravention and to empower the "Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate or the Additional Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Metropolitan Magistrate" as the case may be, *instead* of the Magistrate of the first class to try the case under the said Act and pass a sentence of fine upto Rupees fifty thousand.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S. M. A. ABIDI,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 706 राजपत्र (हि०)–2007–(1724)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 363 सा० विधायी–2007–(1725)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।